



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082024-256370
CG-DL-E-14082024-256370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946

No. 459]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14 2024/SHRAVANA 23, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 498(अ).—स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्र सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके इन नियमों से प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट अवधि के भीतर उप सचिव (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 204, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा ई-मेल expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों को स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 में निम्न संशोधन किए जाते हैं

3. अनुसूची-I मेंतालिका खके बाद, निम्नलिखित तालिका अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्;

ग. नियम 13, 18, 19, 33 एवं 43 के अंतर्गत निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए निरीक्षक या सक्षम व्यक्ति या तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) को देय शुल्क निम्नानुसार होगा:-

क्रम सं.	उद्देश्य	शुल्क
1.	प्रत्येक दाब पात्र के लिए नियम 13 के अंतर्गत चरणवार निरीक्षण और नियंत्रण का प्रमाणपत्र जारी करना	4000
2.	प्रत्येक दाब पात्र के डिजाइन ड्राइंग और डिजाइन गणना का नियम 13 के अंतर्गत मूल्यांकन	2000
3.	दाब पात्र की मरम्मत के लिए नियम 13 के अंतर्गत निर्माण ड्राइंग का मूल्यांकन	2000
4.	दाब पात्र पर लगे प्रत्येक सुरक्षा वाल्व का नियम 18 के अंतर्गतपरीक्षण और प्रमाणन	1000
5.	प्रत्येक दाब पात्र का नियम 19 के अंतर्गत आवधिक परीक्षण और प्रमाणन	
	i) भूमि के ऊपर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर पात्र	3000
	ii)हॉर्टन स्फेयर	5000
	iii)भूमिगत या माउंडेड पात्र	5000
	iv) परिवहन पात्र	3000
6.	नियम 33 के अंतर्गत सुरक्षा का प्रमाणपत्र	
	i) नियम 22 की तालिका 1, 2 और 3 के अंतर्गत आने वाले परिसर	3000
	ii) नियम 22 की तालिका 6 और 7 के अंतर्गत आने वाले परिसर	1000
	iii) नियम 22 की तालिका 4 और 5 के अंतर्गत आने वाले परिसर	5000
7.	नियम 43 के अंतर्गत परिवहन वाहन के लिए सुरक्षाप्रमाणपत्र	2000

[फा. सं. पी-13033/68/2023-विस्फोटक]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1109(अ) द्वारा दिनांक 1 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 388(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 2018, सा.का.नि. 148(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2019 और सा.का.नि. 609 (अ) दिनांक 31/08/2021 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2024

G.S.R. 498(E) —The draft of the following rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (I) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after thirty (30) days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Deputy Secretary (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 204, Vaniya Bhavan, New Delhi – 110001 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

- Short title and commencement-
(1) these rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules 2024.(2)
They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Static and Mobile Pressure Vessels (U) Rules, 2016 following may be amended
- In the Schedule -I after table B, following table shall be inserted namely;

C. Fees payable to Inspector or Competent Person or Third Party Inspection Agency (TPIA) for inspection, testing and certification under rules 13, 18, 19, 33 & 43 shall be as follows:-

SI No.	Purpose	Fees
1	Stage-wise inspection and issue of certificate of control under Rule 13 for each pressure vessel	4000
2	Appraisal of design drawing and design calculation of each pressure vessel under Rule 13	2000
3	Appraisal of fabrication drawing for repairing of pressure vessel under Rule 13	2000
4	Testing and certification of each safety valve mounted on pressure vessel under rule 18	1000
5	P Periodic testing of each pressure vessel and its certification under Rule 19	
	i) Aboveground horizontal or vertical vessel	3000
	ii) Horton Sphere	5000
	iii) Underground or mounded vessel	5000
	iv) Transport Vessel	3000
6	Certificate of Safety under rule 33-	
	i) Premises covered under Table 1, 2 & 3 of Rule 22	3000
	ii) Premises covered under Table 6 & 7 of Rule 22	1000

	iii) Premises covered under Table 4 & 5 of Rule 22	5000
7	Certificate of safety for transport vehicle under rule 43	2000

[F. No. P-13033/68/2023-EXPLOSIVE]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification G.S.R. 1109(E), dated the 1st December, 2016 and subsequently amended vide G.S.R 388(E), dated the 20th April, 2018, G.S.R 148(E), dated the 25th February, 2019 and G.S.R. 609(E) dated 31/08/2021.